बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.........................

संख्या–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–53/2025....7189/ दिनांक–16.08.2025 को छापेमारी के दौरान बलथरी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक 221648 अभिषेक कुमार की मृत्यु होने संबंधी मामले में श्री दीनबन्धु, उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सतत् निरीक्षण नहीं करने, बलथरी चेकपोस्ट के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करने, विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं समुचित कार्य योजना तैयार नहीं करने के कारण विभागीय पत्रांक–4822 दि0–20.08.2025 द्वारा श्री दीनबन्धु, उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा से कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक–62 दि0–30.08. 2025 द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

2. श्री दीनबन्धु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अंकित किया गया है कि बलथरी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त गृहरक्षक 221648 अभिषेक कुमार की मृत्यु के संबंध में उनके द्वारा गहनतापूर्वक जाँच पड़ताल की गयी। घटना की सूचना मिलते ही छापामारी टीम के सदस्यों, बलथरी चेकपोस्ट के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मद्यनिषेध चौधरी सूर्यभूषण, नियंत्री पदाधिकारी के रूप में श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज, अपने स्थानीय गुप्तचरों एवं आमजन से अलग–अलग किये गये पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना पुरी तरह से बलथरी चेकपोस्ट प्रभारी चौधरी सूर्यभूषण के द्वारा अनुचित एवं अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय जिसमें वरीय पदाधिकारी के रूप में अधीक्षक मद्यनिषेध से बिना कोई निदेश प्राप्त किये; स्थानीय थाना, स्थानीय मद्यनिषेध इकाई से बिना समन्वय स्थापित किये तथा गठित किये गये छापामारी टीम में किसी भी उत्पाद कर्मी को शामिल किये बिना एक स्वतंत्र निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक सड़क दुर्घटना में प्रतिनियुक्त गृहरक्षक की मृत्यु हो गयी, जो एक खेदजनक घटना है। उक्त घटना में किसी भी स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी से कोई चूक नहीं हुई है। उनके द्वारा उल्लेखित है कि विभागीय बैठको में आयुक्त उत्पाद के द्वारा दिये गये निदेश जिसमें जिलों में औचक निरीक्षण करने, चेकपोस्ट पर कैमरों के समक्ष वाहन जाँच किये जाने, आसूचना संग्रह कर कार्रवाई करने, अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की कार्रवाई तथा जप्ती हेतु कार्य योजना बनाने तथा रात्रि गश्ती में पर्यवेक्षण करने एवं इसे प्रभावी बनाये जाने का निदेश का पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं तत्परता से अक्षरशः अनुपालन किया गया है। दरभंगा प्रमंडल एवं सारण प्रमंडल अंतर्गत 06 जिलों में उनके द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण किये गये। उनके द्वारा मुख्यालय स्तर से साप्ताहिक VC में किसी न किसी जिले में औचक निरीक्षण में रहने की बात कही गयी और उसी संबंधित जिले से समीक्षा बैठक में भाग लेने का भी जिक्र किया गया है साथ ही उनका कहना है कि आसूचना संग्रह कर कार्रवाई करने का निदेश का अनुपालन करते हुए सारण प्रमंडल अंतर्गत 40 से ज्यादा बड़े अभियोग का न सिर्फ उद्भेदन किया गया बल्कि महत्वपूर्ण अभियोग का तकनीकी रूप से प्रभावशाली एवं गहनतापूर्वक अनुसंधान को भी उनके पर्यवेक्षण में सुनिश्चित किया जाता है। उनकी आसूचना पर उनके प्रमंडलीय जिलों के अलावा अन्य जिलों यथा मुजफ्फरपुर में लगभग 1000 पेटी शराब की ट्रक सहित बड़ी खेप को पकड़ा गया। माह 2025 से अगस्त 2025 से दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत जिलों में कुल 53025.000

लीटर एवं सारण प्रमंडल, अंतर्गत जिलों में कुल 81569.350 लीटर देशी एवं विदेशी शराब की जप्ती सुनिश्चित की गयी। उनके द्वारा बताया गया है कि संबंधित घटना पूरी तरह से बलथरी चेकपोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी के अदूरदर्शिता एवं लापरवाही का परिणाम है, जिसमें उपायुक्त मद्यनिषेध के रूप में उनकी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। उनके द्वारा उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. श्री दीनबन्धु, उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि गोपालगंज जिले में बलथरी चेक पोस्ट के पास छापामारी के क्रम में गृहरक्षक की छापेमारी के दौरान मृत्यु होने संबंधी मामले में उपायुक्त मद्यनिषेध सारण प्रमंडल द्वारा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया जाना परिलक्षित होता है। विभिन्न विभागीय बैठकों में उपायुक्त मद्यनिषेध सारण प्रमंडल को निदेशित करने के बावजूद बलथरी चेकपोस्ट के कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार उपायुक्त मद्यनिषेध बलथरी चेकपोस्ट के कार्य का अनुश्रवण करने में विफल रहे हैं। यह उपायुक्त मद्यनिषेध सारण प्रमंडल द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेना दर्शाता है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत यह भी पाया गया कि विभागीय स्तर पर आहुत विभिन्न बैठकों में उपायुक्त मद्यनिषेध को अपने क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित जिलों में औचक निरीक्षण नियमित रूप से करने तथा चेकपोस्टो पर कैमरे के सामने वाहन जॉच किया जाना सुनिश्चित कराने, आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने, अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं जब्ती हेतु कार्ययोजना बनाने तथा रात्रि गश्ती का पर्यवेक्षण कर इसे प्रभावी बनाये जाने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेशों के बावजूद छापामारी के क्रम में इस तरह की घटनाएँ घटित होना दर्शाता है कि श्री दीनबन्धु, उपायुक्त द्वारा विभागीय निदेशों के आलोक में समुचित कार्रवाई नहीं की गयी है।

5. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री दीनबन्धु, उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उक्त मामलो में उनके द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सतत् निरीक्षण नहीं किये जाने, बलथरी चेकपोस्ट के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किये जाने, विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने, समुचित कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने के लिए उन्हे जिम्मेवार मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियम के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं असंचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–53/2025................./ पटना, दिनांक–.....................

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–53/2025................../ पटना, दिनांक–.......................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–8ए/आ0(राज0 उ0)–2–53/2025.......7189......../ पटना, दिनांक–....18.12.25–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं दरभंगा प्रमंडल,दरभंगा/संयुक्त आयुक्त, मद्यनिषेध/कोषागार पदाधिकारी,जिला कोषागार, सारण एवं दरभंगा/श्री दीनबन्धु,उपायुक्त मद्यनिषेध,सारण प्रमंडल, छपरा एवं दरभंगा प्रमंडल,दरभंगा/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/25

सरकार के संयुक्त सचिव